(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 133 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्‌द्वारा, न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास आवेदक

आ दे श

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) का वर्तमान दरमान पिछली बार, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी / 42 / 2005-एनएमपीटी दिनांक 11 मई 2006 के माध्यम से पारित किया गया था और अनुमोदित दरमान की वैधता 31 मार्च 2009 तक प्रदान की गई थी।

2. पत्तन के अनुरोध पर इस प्राधिकरण ने दिनांक 17 जून 2009 के अपने आदेश द्वारा इस निदेश के साथ कि वह अपना प्रस्ताव 30 जून 2009 तक दाखिल करे दें, इसकी वैधता पहली बार 30 सितंबर 2009 तक बढ़ाई गई। दरमान की वैधता, इस निदेश के साथ कि वह अपना प्रस्ताव 31 दिसंबर 2009 तक दाखिल कर दे एक बार फिर, दिनांक 23 अक्तूबर 2009 के आदेश के माध्यम से 31 मार्च 2010 तक बढ़ाई गई। इस प्राधिकरण ने दरमान को विस्तार इस शर्त के अधीन दिया था कि 1 अप्रैल 2009 के बाद की अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रति लाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष निकलेगा तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा ।

3. एनएमपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है। तथापि पत्तन ने दिनांक 11 फरवरी 2010 के अपने पत्र के माध्यम से, डब्ल्यूआरसी और ओएसडी के क्रियान्वयन से संबंधित कुछ अनसुलझे मुद्‌दों के कारण सही-सही लागत विवरणियां प्रस्तुत करने में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की हैं और इसलिए अपने वर्तमान दरमान की वैधता 30 जून 2010 तक बढ़ाने का और अपना प्रस्ताव मई 2010 के अंत तक दाखिल करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

4. चूंकि दरमान की विस्तारित अवधि की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो गई है और अपने दरमान की के सामान्य संशोधन के लिए पत्तन द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के अंतिम निपटान के लिए अपेक्षित समय को देखते हुए यह प्राधिकरण वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2010 तक इस शर्त के साथ विस्तारित करता है कि 11 मई 2006 के आदेश में मूल रू प से प्रदत्त दरमान की वैधता की समाप्ति के बाद से पत्तन द्वारा अर्जित समस्त अधिशेष को पूर्ण रू पेण समायोजित किया जाएगा।

5. पत्तन को निदेश दिया जाता है कि वह अपने दरमान के संशोधन का प्रस्ताव 31 मई 2010 तक दाखिल कर दे, जैसा तय हुआ है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष